Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 34–2025] CHANDIGARH, TUESDAY, AUGUST 26, 2025 (BHADRA 4, 1947 SAKA)

PART-II

Notifications of Election Commission of India-Other Notifications and Republications from the Gazette of India

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली–110001

सं 76/हरि.–लो.स./02/2024/सी.ई.एम.एस.–1, **दिनांकः 24 जुलाई, 2025**
2 श्रावण, 1947 शक

आदेश

यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनाक 29.04.2024 की अधिसूचना सं0 464/EPS/2024(6) के अनुसरण में हरियाणा राज्य के **02–कुरुक्षेत्र** लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2024 आयोजित किया गया था, और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी निर्वाचन में, निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता (एजेंट) द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी, और

यतः, हरियाणा राज्य के **02–कुरुक्षेत्र** लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के साधारण निर्वाचन, 2024 का परिणाम रिटर्निंग आफिसर द्वारा दिनांक 4 जून, 2024 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 4 जुलाई, 2024 थी, और

यतः निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप–नियम (1) के अंतर्गत, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा से क्रमांक 6/Elect-Exp./GEL-2024/2AE-7497 दिनांक 05.08.2024 के द्वारा प्राप्त जिला निर्वाचन अधिकारी, **कुरुक्षेत्र** की रिपोर्ट दिनांक 30.07.2024 के अनुसार **श्री दीपक मैहरा** जो हरियाणा राज्य **02–कुरुक्षेत्र** लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2024 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि के अंतर्गत यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप–नियम (5) के अंतर्गत **श्री दीपक मैहरा** को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/हरि/लो.स./2/2024/सी.ई.एम.एस.–1 दिनांकः 2 जनवरी, 2025 को जारी किया गया था, और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप–नियम (6) के अनुसार **श्री दीपक मैहरा** को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, **कुरुक्षेत्र** को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था, और

यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पत्र सं0 6/Elect-Exp./2-Kurukshetra/GELS-2024/2AE-1178, दिनाक 07.03.2025 के द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी, **कुरुक्षेत्र** के पत्र दिनांक 20.02.2025 के द्वारा सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस **श्री दीपक मैहरा** को दिनांक 14.01.2025 को तामील किया गया था, और

यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पत्र सं0 6/Elect.-Exp./2-Kurukshetra/GELS-2024/2AE-3467 दिनांक 27.06.2025 के द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी, **कुरुक्षेत्र** की अनुपूरक रिपोर्ट दिनाक 09.04.2025 अग्रेषित किया और बताया कि **श्री दीपक मैहरा** ने निर्वाचन व्यय का लेखे का कोई विवरण या अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस की पावती के उपरांत, **श्री दीपक मैहरा** ने विधि के अंतर्गत यथाविहित लेखा दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है औंर न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है, और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है किः

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है, और

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं रखता है

तो निर्वाचन आयोग, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा

यत:, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री दीपक मैहरा** अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है, और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि हरियाणा राज्य के **02—कुरुक्षेत्र** लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए लोक सभा निर्वाचन, 2024 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **श्री दीपक मैहरा, लाडवा रोड़, शिव दुर्गा कॉलोनी, पिपली, जिला कुरुक्षेत्र, हरियाणा**। इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

राकेश कुमार
सचिव

भारत निर्वाचन आयोग

ELECTION COMMISSION OF INDIA

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली–110001 **NIRVACHAN SADAN, ASHOKA ROAD, NEW DELHI-110001**

No.76/HR-LS/2/2024/CEMS-I **Dated: 24th July, 2025**
2 Shravan, 1947 (Saka)

ORDER

WHEREAS, the General Election to Lok Sabha of Haryana, 2024 for **2-Kurukhetra** Parliamentary Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No.464/EPS/2024(6), dated 29th April, 2024; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his/her election expenses which shall be true copy of the account kept by him/her or his election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the election for **2-Kurukshetra** Parliamentary Constituency of Haryana, 2024 was declared by the Returning Officer on **4th June, 2024** and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was **4th July, 2024**; and

WHEREAS, as per the CEO, Haryana vide his letter No. 6/Elect-Exp./GEL-2024/2AE-7497 dated 05-08-2024 forwarded the District Election Officer's **Kurukshetra** letter dated 30.07.2024 under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, received through stating that **Sh. Deepak Mehra** a contesting candidate from **2-Kurukshetra** Parliamentary Constituency in General Election to Lok Sabha of Haryana, 2024 has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, **Kurukshetra** a Show-Cause notice No. **76/HR-LS/2/2024/CEMS-I, dated 2nd January, 2025** was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Deepak Mehra** for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rule, 1961, **Sh. Deepak Mehra,** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Kurukshetra** District within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the CEO, Haryana vide his letter No. 06/Elect.Exp./2-Kurukshetra/GELS-2024/2AE-1178, dated 07.03.2025 forwarded the District Election Officer's **Kurukshetra** letter dated 20.02.2025 reported that the said notice was served to **Sh. Deepak Mehra,** on dated 14.01.2025; and

WHEREAS, the CEO, Haryana vide his letter No. 06/Elect.Exp./2-Kurukshetra/GELS-2024/2AE-3497, dated 27.06.2025 forwarded the District Election Officer's **Kurukshetra** letter dated 09.04.2025 and reported stated that **Sh. Deepak Mehra,** has not submitted any representation or a statement of account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Sh. Deepak Mehra**, has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account of his election expenses as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or udner this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.";

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Deepak Mehra,** has failed to lodge account of his election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Deepak Mehra, Ladwa Road, Shiv Durga Colony, Pipli, District Kurukshetra, Haryana** and a contesting candidate in **2-Kurukshetra Parliamentary Constituency** of General Election to PC of Haryana, 2024, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

RAKESH KUMAR,
SECRETARY

12015—C.S.—H.G.P., Pkl.